न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 107/2014

उनवान

1 नन्दापुरी पिता केसरपुरी गुसाई, निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
2 रघूनाथ पूरी पिता केसरपुरी गुसाई, निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा।
3 पानीपुरी पुत्री केसरपुरी गुसाई निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा।
4 सॉवरपुरी पिता बंशीपुरी गुसाई, निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
5 सम्पतपुरी पिता बंशीपुरी गुसाई, निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।

–वादीगण

बनाम

1 मोहनपुरी पिता शम्भूपुरी गुसाई, निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
2 आशारामपुरी पिता मदनपुरी ना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति घमली पत्नि मदनपुरी गुसाई, निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
3 गौरीशंकर पिता मदनपुरी ना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति घमली पत्नि मदनपुरी गुसाई, निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
4 गोपालपुरी पिता लादुपुरी , निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
5 घमली बेवा मदनपुरी , निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
6 प्रहलादपुरी पिता लादूपुरी ना.बा. जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति राधा बेवा लादुपुरी गुसाई, निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
7 राधा बेवा लादुपुरी गुसाई, निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
8 जीया पुत्री लादुपुरी गुसाई निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
9 इन्द्रा पुत्री लादुपुरी गुसाई निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
10 गुमानी पुत्री लादुपुरी गुसाई , निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
11 शीला पुत्री लादुपुरी गुसाई, निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
12 कन्या पुत्री लादुपुरी ना.बा. जरिये संरक्षक माता श्रीमति राधा बेवा लादुपुरी गुसाई, निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
13 सोहनी पत्नि रामपुरी गोस्वामी, निवासी आगुॅचा, तहसील हुरडा ।
14 राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश भीलवाडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री विश्वद्वीप सिंह वकील वादी
श्री राजेश कुमार मेहता वकील प्रतिवादी ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 11.06.2018

1 . वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि मौजा आगुॅचा, तहसील हुरडा में स्थित खाता संख्या– 170 आराजी नम्बर–

Scanned by CamScanner

403, 404/2, 405, 444, 445, 446, 447, 522/1, 522/2, 522/3, किता 10 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा वादी संख्या– 1 से 3 के पिता एवं वादी संख्या– 4 व 5 के दादा श्री केसरपुरी पिता मोडपुरी के नाम 1/2 हक हिस्सा एवं माधोपुरी पिता सूरजपुरी का 1/2 हक हिस्सा होकर राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी दर्ज थी तभी से वादीगण का उक्त आराजीयात पर मौरुसी हक से काबिज होकर काश्त चले आ रहे है ।

2 वाद पत्र की कलम नम्बर– 1 में वर्णित आराजीयात का सेटलमेन्ट के पश्चात नये नम्बर– निम्न प्रकार से बने है–
आराजी नम्बर– 403, 446, 447, से नये नम्बर– 2951 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा बने इसी प्रकार आराजी नम्बर– 522/1 से नये नम्बर– 3418 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा बने, एवं 522/2 से नये नम्बर– 3419 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा बने है जो वर्तमान में राजस्व अधिकारियों की गलती के कारण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है ।

3 सेटलमेन्ट में उक्त आराजी को साबिक रिकार्ड के अनुसार केसरपुरी पिता मोडपुरी का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर उक्त आराजीयात को बिना किसी विधिक आधार के केसरपुरी पिता मोडपुरी का नाम हटाकर शम्भूपुरी पिता सूरजपुरी को एकमात्र खातेदार बना दिया जो कि विधि विरुद्ध होकर गलत है । वर्तमान में शम्भूपुरी के फौत हो जाने से प्रतिवादी नम्बर– 1 से लगयात 11 के नाम पर है ।

4 उक्त आराजीयात को साबिक रिकार्ड के अनुसार वादी संख्या– 1 लगायत 3 के पिता एवं वादी संख्या– 4 व 5 के दादा केसरपुरी पिता मोडपुरी का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था मगर राजस्व अधिकारियों द्वारा विधि के प्रावधानों की अवहेलना कर केसरपुरी पिता मोडपुरी का नाम हटाकर प्रतिवादीगण के पूर्वज शम्भूपुरी को एकमात्र खातेदार बना दिया जो विधि विरुद्ध होकर शून्य होने से प्रतिवादीगण के बजाय वादीगण का उक्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत है ।

5 वादीगण ने प्रतिवादीगण को आपसी रजामन्दी से उक्त आराजीयात में वादीगण का 1/2 हक हिस्से को वादीगण के नाम दर्ज कराने के लिये कई बार आग्रह किया लेकिन प्रतिवादीगण के मन में खोट आ जाने के कारण दिनांक 03.03.2014 को स्पष्ट मना कर दिया जिसके कारण वादीगण को उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की चाराजोही पेश हुई है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

6 उक्त आराजीयात को साबित रिकार्ड के अनुसार वादी संख्या– 1 से 3 के पिता एवं 4 से 5 के दादा केसरपुरी पिता मोडपुरी का 1/2 हक हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा विधि के प्रावधानों की अवहेलना कर केसरपुरी पिता मोडपुरी का नाम हटाकर प्रतिवादीगण के पूर्वज शम्भूपुरी को एकमात्र खातेदार बना दिया जो विधि विरुद्ध होकर शून्य होने से उक्त आराजीयात में

Scanned by CamScanner

वादीगण के बजाय वादीगण का उक्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्से की खातेदारी हक हकी घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

7 बिनायवाद प्रतिवादीगण द्वारा 1/2 हक हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज कराने से मना करने के दिनांक 03.03.2014 को पैदा होकर निरनतर जारी है ।

8 अन्त में अंकित किया कि वादीगण के पद्वा में प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 11 के खिलाफ घोषणा की डिक्री इस अमर की पारित फरमाई जावें कि आराजी नम्बर– 2951 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर– 3418 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर– 3419 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, में वादीगण का 1/2 हक हिस्से की खातेदार घोषित किया जावें तथा माफिक घोषणा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने की डिक्री सादीर फरमाई जावें ।

9 प्रस्तुत वाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1 से 12 की और से उनके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 11.04.2016 को जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वादीगण द्वारा जिस आराजीयात की घोषणा चाही गई उस आराजीयात पर उनका कब्जा नही होने से कब्जे के अभाव में धारा–88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट वाद पत्र के दौरान चलने योग्य नही है। विवादित माफिक आदेश ऐ.एस.ओ. के यहॉ विचाराधीन प्रकरण संख्या– 136 दिनांक 28.10.1966 के द्वारा खातेदार केसरपुरी का नाम हटाते हुये सिर्फ शम्भूपुरी का नाम ही दर्ज किया गया । उक्त आदेश वादी द्वारा पेशसुदा खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति में नोट दर्शित हो रखा है । तभी से उक्त आराजीयात शम्भूपुरी के जीते जी उनके नाम रही और उनकी मृत्यु के बाद विरासत से उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई , तभी से शम्भुपुरी के जीते जी उनका व उनकी मृत्यु के बाद वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी संख्या–'13 के अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 17.11.2015 को जवाबदावा प्रस्तुत कर विशेष कथन में अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या– 13 ने आराजी नम्बर– 3604 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा को मोहनपुरी , आशापुरी, गौरीशंकर , मदनपुरी , घमली, गोपालपुरी, प्रहलादपुरी, राधा, जीया, इन्द्रा, गुमानी, शिला , कन्या से दिनांक 26.06.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है । वादीगण के साविक आराजी नम्बर– 403, 446, 447, 522/1, 522/2 के किसी भी नम्बरों के से उनके नये नम्बर– 3604 नही बनाये गये है । आराजी नम्बर– 3604 पूर्ण रुप से अलग आराजीयात है इसलिये प्रतिवादी संख्या– 13 को वादीगण ने गलत पक्षकार का कुसंयोजन किया है इसलिये दावा वादी खारिज योग्य है । प्रतिवादी संख्या– 14 के पैरोकारराज के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

10 प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर दिनांक 26.02.2018 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई–

Scanned by CamScanner

तनकी नं.–1	आया आराजी मुतदाविया केसरपुरी पुत्र मोडपुरी, माधोपुरी पुत्र सूरजपुरी के नाम 1/2, 1/2, हक हिस्से से संयुक्त खातेदारी से दर्ज थी ।	–वादी
तनकी नं.–2	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात के नये नम्बर– कलम नम्बर– 02 में वर्णित अनुसार बनाये गये, जो राजस्व अधिकारियों की गलती से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है ।	–वादी
तनकी नं.–3	आया वादीगण आराजी मुतदाविया में 1/2 हक हिस्से को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।	–वादी
तनकी नं.–4	आया जवाबदार की कलम नम्बर– 17 18 19 में वर्णित कारणों से दावा वादी खारिज योग्य है ।	–वादी
तनकी नं.–5	आया जवाबदार की कलम नम्बर– 17 में वर्णित कारणों से दावा वादी खारिज योग्य है ।	–वादी
तनकी नं.–6	आया जवाबदार की कलम नम्बर– 18 में वर्णित कारणों से दावा वादी खारिज योग्य है ।	–वादी
तनकी नं.–7	अनुतोष ।	

11 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट आगुंचा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया में केसरपुरी पिता मोडपुरी का 1/2 तथा माधोपुरी पिता सुरजपुरी का 1/2 हक हिस्सा होकर राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी से दर्ज थी जो राजस्व अधिकारियों की गलती से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई । सेटलमेन्ट में उक्त साबिक रिकार्ड के अनुसार केसरपुरी पिता मोडमुरी का 1/2 हक हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा मिली भगत कर उक्त आरजीयात को बिना किसी विधिक आधार के केसरपुरी पिता मोडपुरी का नाम हटाकर शम्भुपुरी का एकमात्र खातेदार बना जो विधि विरुद्ध होकर गलत है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का 1/2 हक हिस्से से खातेदार घोषित फरमाया जावें ।

12 जबकि वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि ऐ.एस.ओं. के प्रकरण संख्या– 136 आदेश दिनांक 28.10.1966 के द्वारा खातेदार केसरपुरी का नाम हटाकर शम्भुपुरी का नाम दर्ज किया गया था तभी से इस भूमि पर शम्भुपुरी व उसके बाद उसके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है । इसलिये दावा वादी खारिज फरमाया जावें ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

13 मैने वकील उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है –

14 **तनकी नं.–1** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है । इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा 1982 की मेवाड राज्य की

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण के मौरुस शम्भूपुरी के नाम दर्ज हुई है । इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा न होकर प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त है । तद्नुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

19 **तनकी नं.–6** इस वाद की सभी महत्वपूर्ण तनकीयों का निर्णय वादी के विरुद्ध हो जाने से इस वाद का निर्णय हो जाता है तद्नुसार दावा वादी खारिज योग्य है ।

–: निर्णय :–

दावा वादी खारिज किया जाता है । तद्नुसार डिक्री मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट आगूँचा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner